संख्या-201/2020/582/22-2-2018-17(141)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 18 जून, 2020***

विषय:- जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इकबाल पुत्र श्री रियासत, निवासी जनपद-बिजनौर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15126/पर-7/सीमित सजा(एम-06-04-2018) दिनांक-17-04-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इकबाल पुत्र श्री रियासत, राजपुर परशु, थाना-हीमपुर, जनपद-बिजनौर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 02.07.2011 को दोपहर 01:00 बजे लगभग, जंगल से घास लेने गयी श्रीमती अनवरी की 13 वर्षीय पुत्री को तमंचे के बल पर पकड़कर गन्ने के खेत में ले जाकर बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-68/2012 में भा0द0वि0 की धारा-376 के अन्तर्गत स्पेशल जज बिजनौर के आदेश दिनांक 04.04.2013 द्वारा 07 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.02.2018 तक 04 वर्ष 11 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष 04 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा भविष्य में भी ऐसे अपराध की प्रबल सम्भावना होने, यथास्थिति व जनहित में निरूद्ध रहना ही उचित होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किए जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी इकबाल पुत्र श्री रियासत को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी इकबाल (बन्दी संख्या-99/2013) पुत्र श्री रियासत, निवासी जनपद-बिजनौर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे रिहाई का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-201/2020/582(1)/22-2-2018 तद्दिनांक----

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद बिजनौर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बिजनौर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-201/2020/582/22-2-2018-17(141)/2018

दिनांक 18 जून, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इकबाल (बन्दी संख्या-99/2013) पुत्र श्री रियासत, राजपुर परशु, थाना-हीमपुर, जनपद-बिजनौर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 02.07.2011 को दोपहर 01:00 बजे लगभग, जंगल से घास लेने गयी श्रीमती अनवरी की 13 वर्षीय पुत्री को तमंचे के बल पर पकड़कर गन्ने के खेत में ले जाकर बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-68/2012 में भा0द0वि0 की धारा-376 के अन्तर्गत स्पेशल जज बिजनौर के आदेश दिनांक 04.04.2013 द्वारा 07 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.02.2018 तक 04 वर्ष 11 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष 04 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा भविष्य में भी ऐसे अपराध की प्रबल सम्भावना होने, यथास्थिति व जनहित में निरूद्ध रहना ही उचित होने, जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किए जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी इकबाल पुत्र श्री रियासत को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।